बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– रा०कृ०वि०यो०को०–17/2015– 1634 /कृ0,पटना,दिनांक 28/3/,2016

प्रेषक,

प्रभु राम,
निदेशक (प्रशासन)–सह– अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रुप से परामर्शित।

द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना।** (+)

विषय : **वित्तीय वर्ष 2015–16 से वित्तीय वर्ष 2019–20 तक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) अंतर्गत कुल 2325.625 लाख रूपये (तेईस करोड़ पच्चीस लाख बासठ हजार पाँच सौ रूपये) की योजनाओं का कार्यान्वयन एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) अंतर्गत कुल 2095.045 लाख रूपये (बीस करोड़ पचानवे लाख चार हजार पाँच सौ रूपये) (सामान्य वर्ग के लिए 1738.887 लाख रूपये, अनुसूचित जाति के लिए 335.207 लाख रूपये एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 20.951 लाख रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश – स्वीकृत।

निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार द्वारा कृषि रोड मैप के अधीन वित्तीय वर्ष 2015–16 से वित्तीय वर्ष 2019–20 तक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) अंतर्गत कुल 2325.625 लाख रूपये (तेईस करोड़ पच्चीस लाख बासठ हजार पाँच सौ रूपये) की योजनाओं का कार्यान्वयन एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) अंतर्गत कुल 2095.045 लाख रूपये (बीस करोड़ पचानवे लाख चार हजार पाँच सौ रूपये) (सामान्य वर्ग के लिए 1738.887 लाख रूपये, अनुसूचित जाति के लिए 335.207 लाख रूपये एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 20.951 लाख रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) अंतर्गत कार्यक्रमों का मदवार/वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :–

मद	सहायता दर	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (लाख रूपये में)					
			2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	कुल
1. ई–किसान भवन का सुदृढ़ीकरण	5.89 लाख रूपये प्रति ईकाई	33	194.37					194.37
2. मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण	–	39	297.20					297.20
3. कृषि अभियंत्रण कर्मशाला, मीठापुर, पटना में प्रदर्शन प्रयोगशाला (डेमो लैव) की स्थापना	–	–	62.72					62.72
4. सहरसा, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर में कीटनाशी जाँच प्रयोगशाला को क्रियाशील करने की योजना	103.80 लाख रूपये प्रति ईकाई	3	311.40					311.40
5. बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर में कृषि यंत्र परीक्षण केन्द्र का स्थापना	–	–	213.53	54.75	5.00	5.25	5.50	284.03
6. राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर अंतर्गत								
i. राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर में कृषि यंत्र परीक्षण केन्द्र का सुदृढ़ीकरण	–	–	124.00	27.00	27.00	27.00	29.09	234.09

ii. पशु उत्पादन शोध संस्थान, पूसा के अंतर्गत अवस्थित पोल्ट्री फार्म को एक आदर्श अनुदेशात्मक पोल्ट्री फार्म के रूप में सुधार एवं विकास करना	–	–	208.70	24.47	25.52	–	–	258.69
7. दियारा विकास योजना अंतर्गत								
i. कद्दू वर्गीय (नेनुआ, कद्दू, एवं करैला), मेलन तथा भिंडी सब्जी का हाइब्रिड बीज वितरण	रू० 8000/हे०	2675	214.00					214.00
ii. पी० भी० सी० पाईप बोरिंग	रू० 7500/यूनिट	6255	469.125					469.125
कुल			2095.045	106.22	57.52	32.25	34.59	2325.625

3. उपरोक्त प्रस्तावित योजनाओं के संबंध में संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:–

3.1 **ई–किसान भवन का सुदृढ़ीकरण** – राज्य में 467 प्रखंडो हेतु ई–किसान भवन निर्माण की स्वीकृति दी गयी है जिसमें 268 ई–किसान भवन पूर्णतः तैयार है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में राज्य योजनान्तर्गत 100 ई–किसान भवन के लिए आधारभूत संरचना हेतु फर्निचर एवं उपकरण उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत 135 ई–किसान भवन हेतु 795.00 लाख रू० स्वीकृत है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में 33 ई–किसान भवन सुदृढ़ीकरण हेतु 5.89 लाख रू० प्रति ई–किसान भवन की दर से कुल 194.37 लाख रू० प्रस्तावित है। इससे तकनीकी प्रसार के लिए मूलभूत आधारभूत संरचनाएँ उपलब्ध होगी।

3.2 **मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण** – इस योजना के अन्तर्गत 38 जिला मृदा परीक्षण प्रयोगशाला एवं 1 (एक) केन्द्रीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव है। मृदा स्वास्थ्य अभियान हेतु आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता के लिए 297.20 लाख रूपये प्रस्तावित है। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए मिट्टी जाँच प्रयोगशाला को सुदृढ़ करना मूल आवश्यकता है। मिट्टी जाँच के आधार पर किसानों को मिट्टी को स्वस्थ्य रखने हेतु तकनीकी सलाह दी जाएगी।

3.3 **कृषि अभियंत्रण कर्मशाला, मीठापुर, पटना में प्रदर्शन प्रयोगशाला (डेमो लैव) की स्थापना** – विगत वर्षो में बिहार राज्य में कृषि यांत्रिकरण योजना के सफल कार्यान्वयन के फलस्वरूप यांत्रिकृत खेती को बढ़ावा मिला है। विभाग का लक्ष्य है कि खेतों पर कृषि उर्जा उपलब्धता के वर्तमान स्तर 1.81 किलो वाट प्रति हे० को आगे बढ़ाते हुए इसे देश के विकसित राज्यों के समतुल्य किया जाय। अतः यह जरूरी है कि हमारे किसानों को कृषि यंत्रों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हो और वे इन यंत्रों के सफल परिचालन, रख–रखाव इत्यादि तकनीकी पहलुओं से वाकिफ हों। वर्तमान में कृषि क्रियाओं से जुड़े सभी मशीनों की उपलब्धता एक स्थान तथा एक समय पर नहीं रहने के कारण किसानों को उन मशीनों की सही जानकारी नहीं मिल पाती है। कृषि मशीन प्रत्यक्षण प्रयोगशाला की स्थापना के फलस्वरूप कृषकगण एक ही समय व स्थान पर विभिन्न मशीनों को देख सकेंगे एवं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और उसका संचालन भी कर सकेंगे। इससे एक ओर जहाँ कृषि यांत्रिकरण को बढ़ावा मिलेगा वहीं दूसरी ओर किसानों की कार्यदक्षता भी बढ़ेगी।

3.4 **सहरसा, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर में कीटनाशी जाँच प्रयोगशाला को क्रियाशील करने की योजना** – भागलपुर, मुजफ्फरपुर एवं सहरसा में संयुक्त प्रयोगशाला भवन बनकर तैयार है। इन प्रयोगशालाओं को कार्यशील करने के लिए यंत्र, ग्लासवेयर एवं रसायन आदि के क्रय हेतु प्रति प्रयोगशाला 103.80 लाख रू० की दर से कुल 311.40 लाख रूपये की राशि प्रस्तावित है। किसानों को बिक्री किये जा रहे कीटनाशियों का परीक्षण का गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जा सकेगा।

3.5 **बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर में कृषि यंत्र परीक्षण केन्द्र का स्थापना** – राज्य में कृषि यंत्र की परीक्षण केन्द्र की स्थापना से निश्चित तौर पर किसानों को गुणवत्तायुक्त यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और कृषि यंत्रों के निर्माण तथा विपणन पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कृषि यांत्रिकरण में वृद्धि से हमारे किसान तो लाभान्वित होंगे ही, युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर सृजित होगें और उन्नत कृषि से राज्य का भी विकास होगा। योजना का मुख्य उद्देश्य उन्नत एवं गुणवत्तापूर्ण कृषि यंत्रों के निर्माण तथा विपणन को बढ़ावा देना एवं उन्नत कृषि यंत्रों के प्रयोग को बढ़ाकर विभिन्न फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करना है। यह कार्यक्रम बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के द्वारा संचालित किया जायेगा। उक्त योजना की बजट की विवरणी अनुसूची–1 के रूप में संलग्न है।

3.6 **राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर में कृषि यंत्र परीक्षण केन्द्र का सुदृढ़ीकरण** – राज्य में कृषि यंत्र परीक्षण केन्द्र के सुदृढ़ीकरण से किसानों को गुणवत्तायुक्त यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और कृषि यंत्रों के निर्माण तथा विपणन पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कृषि यंत्रों के परीक्षण हेतु राजेन्द्र कृषि

विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य के लिए एक नामित संस्था है। यहाँ वर्त्तमान में औपबंधिक रूप से कृषि यंत्रों का परीक्षण किया जा रहा है। इस परीक्षण केन्द्र का सुदृढ़ीकरण हो जाने से यहाँ स्थायी रूप से कृषि यंत्रों का परीक्षण हो सकेगा। कृषि यांत्रिकरण में वृद्धि से हमारे किसान तो लाभान्वित होंगे ही, युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर खुलेंगे और उन्नत कृषि से राज्य का भी विकास होगा। योजना का मुख्य उद्देश्य उन्नत एवं गुणवत्तापूर्ण कृषि यंत्रों के निर्माण तथा विपणन को बढ़ावा देना है एवं उन्नत कृषि यंत्रों के प्रयोग को बढ़ाकर विभिन्न फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करना है। यह कार्यक्रम रा. कृ. वि., पूसा, समस्तीपुर के द्वारा संचालित किया जायेगा। उक्त योजना की बजट की विवरणी अनुसूची–2 के रूप में संलग्न है।

3.7 **पशु उत्पादन शोध संस्थान, पूसा के अंतर्गत अवस्थित पोल्ट्री फार्म को एक आदर्श अनुदेशात्मक पोल्ट्री फार्म के रूप में सुधार एवं विकास करना** – उत्तरी बिहार के भूभाग में कुक्कुट पालन की असीम सम्भावना है। लेकिन इस प्रदेश में एक आदर्श मार्गदर्शक कुक्कुट पालन संस्थान की कमी है। बिहार मुर्गी के अंडे एवं मांस उत्पादन में अन्य राज्यों की तुलना में काफी पीछे हैं एवं औसत कुक्कुट उत्पादन भी कम है। कुक्कुट पालन खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा एवं कुपोषण से लड़ने का एक उपयुक्त विकल्प है। इस परियोजना का उद्देश्य पशु उत्पादन शोध संस्थान में अवस्थित कुक्कुट प्रक्षेत्र को एक आदर्श कुक्कुट संस्थान के रूप में विकसित करना है ताकि उन्नत नस्लों के चूजों का उत्पादन कर सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों एवं कुक्कुट पालकों को उपलब्ध कराया जा सके। इस परियोजना के द्वारा ग्रामीण युवा, महिलाओं, कुक्कुट व्यवसायियों, विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को कुक्कुट पालन के विभिन्न आयामों से संबंधित प्रशिक्षण एवं जानकारियाँ उपलब्ध कराने का प्रावधान है।इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पशु उत्पादन शोध संस्थान, पूसा में हैचरी यूनिट के साथ आदर्श कुक्कुट प्रक्षेत्र की स्थापना करना है। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र–1 में कुक्कुट के विभिन्न नस्लों का तुलनात्मक आर्थिक योग्यता एवं उपयोगिता का अध्ययन करना। साथ ही साथ ग्रामीण, महिलाएँ, छात्रों एवं कुक्कुट व्यवसायियों को कुक्कुट पालन का सम्पूर्ण प्रशिक्षण देना ताकि कुक्कुट पालन को लाभप्रद व्यवसाय के रूप में अपनाया जा सके। उक्त योजना की बजट की विवरणी अनुसूची–3 के रूप में संलग्न है।

3.8 **दियारा विकास योजना** – दियारा विकास योजना राज्य के 25 जिलों में कार्यान्वित किया जायेगा। योजना अंतर्गत बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, समस्तीपुर, बेगुसराय, दरभंगा, मधुबनी, सारण, सिवान, गोपालगंज जिलों को शामिल किया जायेगा। योजना के अधीन कद्दू वर्गीय सब्जियाँ (नेनुआ, कद्दू, करैला) मेलन तथा भिंडी के संकर किस्म के बीज वितरण के कार्यक्रम चलाये जाएगें। अनुमान्य बीज सामग्री की खरीद किसान स्वंय करेंगे। कद्दू वर्गीय सब्जियाँ (नेनुआ, कद्दू, करैला) मेलन तथा भिंडी के संकर किस्म के बीज के क्रय पर मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 8000.00 रू० प्रति हे० किसानों को सहायतानुदान उपलब्ध कराया जायेगा। एक किसान को अधिकतम एक एकड़ क्षेत्र के लिए बीज उपलब्ध कराया जायेगा। इस उद्देश्य से चुने गए गाँवों/प्रखंडों में शिविर का आयोजन किया जायेगा। शिविर में बीज की उपलब्धता के लिए पर्याप्त संख्या में विक्रेताओं को आमंत्रित किया जायेगा। कद्दू वर्गीय सब्जियाँ (नेनुआ, कद्दू, करैला) मेलन तथा भिंडी सब्जी के संकर प्रभेद किसानों के रूझान एवं उत्पादन क्षमता को देखते हुए निजी कम्पनियों के संकर बीज किसानों को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराए जायेगें। दियारा क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा के विकास के लिए पी०भी०सी० पाईप बोरिंग के लिए लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम 100 फीट हेतु) अधिकतम 7500.00 रू० प्रति यूनिट का प्रस्ताव किया जा रहा है। इस योजना का कार्यान्वयन कलस्टर में किया जायेगा। इच्छुक कृषकों से आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। चुने गये इच्छुक कृषकों को जिला कृषि पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा स्वीकृति पत्र निर्गत किये जायेंगे। पी० भी० सी० पाईप बोरिंग के द्वारा पानी दिये जाने के उपरांत अनुदान का भुगतान लाभुक किसान को किया जायेगा।

4. उक्त योजना का कार्यान्वयन कृषि रोड मैप के लिए निर्धारित कार्यान्वयन अनुदेश तथा भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका के अनुसार तथा सहरसा, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर में कीटनाशी जाँच प्रयोगशाला को क्रियाशील करने की योजना SMDA के मार्गदर्शिका के अनुसार किया जायेगा। कार्यान्वयन अनुदेश में आवश्यकता होने पर आवश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकता है।

5. वित्तीय वर्ष के दौरान योजना के उद्व्यय में वृद्धि होने की स्थिति में विभाग द्वारा भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य इस प्रस्ताव में सन्निहित दिशानिर्देशों के आलोक में बढ़ाया जा सकता है। कुल भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अंतर्गत आवश्यकतानुसार अंतर–जिला एवं अंतर–घटक लक्ष्यों में प्रशासी विभाग द्वारा संशोधन किया जा सकेगा।

6. भारत सरकार के पत्रांक–7–1/2015–RKVY दिनांक–19.11.2015 द्वारा अंतिम रूप से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) अन्तर्गत केन्द्रांश मद में 88.69 करोड़ रू० एवं राज्यांश मद में 59.13 करोड़ रू० उद्व्यय संसूचित किया गया है जिसके आलोक में कृषि विभाग के पत्रांक–1170 दिनांक–